अध्याय XII : कपड़ा मंत्रालय

12.1 निर्मित फ्लैटों के क्रय में अत्यधिक बिलंब के परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हुई

गुवाहाटी में आवासीय फ्लैटों के निर्माण में विलंब के कारण ₹ 1.67 करोड़ की ब्याज की हानि एवं लागत में वृद्धि के अलावा सात वर्षों से अधिक समय तक ₹ 2.38 करोड़ अवरुद्ध हुए।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) {वि.आ.(ह)}, नई दिल्ली को अपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (उ.पू.क्षे.का.), गुवाहाटी से क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र (क्षे.डि.त.वि.के.), गुवाहाटी तथा उ.पू.क्षे. कार्यालय के स्टाफ एवं कर्मचारियों हेतु ₹ 5.36 करोड़ की कुल लागत पर आवासीय क्वार्टरों के लिए 40 निर्मित फ्लैटों को क्रय करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था (फरवरी 2006)। बेलटोल, गुवाहाटी में एक राज्य सरकार संगठन, असम राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड (अ.रा.स.आ.सं.लि.) द्वारा इन फ्लैटों का निर्माण किया जाना था। 24 महिनों के भीतर कार्य को पूर्ण करना था तथा फ्लैटों को उ.पू.क्षे.का. को सौंपा जाना था। ₹ 3.54 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर 40 से 24 संख्या के फ्लैटों में संशोधन के पश्चात मार्च 2006 में कपड़ा मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। अनुमोदन में 24 अलग-अलग तरह के फ्लैटों के निर्माण हेतु ₹ 2.31 करोड़ की निर्माण लागत एवं ₹ 1.23 करोड़ की भूमि लागत शामिल थी। उपरोक्त में से, मार्च 2006 में अ.रा.स.आ.सं.लि. को ₹ 2.38 करोड़ की अग्रिम राशि (भूमि की 100 *प्रतिशत* लागत के रूप में ₹ 1.23 करोड़ तथा निर्माण लागत के 50 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 1.15 करोड़) को जारी कर दिया गया था।

संबंधित अभिलेखों/फाइलों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों को उजागर किया:

1. अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी निधियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अ.रा.स.आ.सं.लि. एवं उ.पू.क्षे.का. के बीच कार्य शुरू करने के लिए समझौता विलेख पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे।

2. 24 महीनों के लक्षित समापन के प्रति, 07 वर्षों की देरी के पश्चात (अप्रैल 2013) कार्य अंशिक रूप से पूरा हुआ था (केवल चारदीवारी, इमारत की नींव का काम, गहरे नलकूप का संस्थापन)।

3. उ.पू.क्षे.का. से कार्य की भौतिक एवं वित्तिय प्रगति को मॉनिटर करना तथा वि.आ.ह., नई दिल्ली को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। चूकिं कार्य

की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थीं, वि.आ.ह. के कार्यालय, नई दिल्ली ने अ.रा.स.आ.सं.लि. से परियोजना में विलंब/समापन न होने तथा उनसे क्यों ₹2.38 करोड़ की राशि को दांडिक ब्याज के साथ वसूली न करने के कारण बताने को कहा (जून 2009)। अपने उत्तर में, अ.रा.स.आ.सं.लि. ने सूचित किया कि स्थानीय विधायक द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण विलंब हुआ था। भूमि के क्रय, चारदीवारी बनाने तथा इमारत की नींव का कार्य करने में पहले ही व्यय किया जा चुका था। विधायक के साथ विवाद को अगस्त 2009 में सुलझाया गया बताया गया था।

4. अ.रा.स.आ.सं.लि. ने (अक्तूबर-2009) उ.पू.क्षे.का. को सूचित किया कि कार्य स्थल पर पहुँच पुलिया को गुवाहाटी नगर निगम (गु.न.नि.) द्वारा नष्ट कर दिया गया था तथा कार्य स्थल तक निर्माण सामग्री ले जाने के लिए अन्य पुलिया बनानी पड़ेगी।

5. अ.रा.आ.सं.लि. ने उ.पू.क्षे.का, गुवाहाटी को सूचित किया (नवम्बर 2010) कि पूर्व/मूल संस्वीकृत लागत पर कार्य जारी रख पाना संभव नहीं हो पाएगा तथा 93 *प्रतिशत* की मूल्य वृद्धि के साथ ₹ 4.47 करोड़ (₹ 2.32 करोड़ के अनुमान से ऊपर) का संशोधित निर्माण लागत अनुमान प्रस्तुत किया था। लागत में बढ़ोत्तरी के लिए अ.रा.आ.सं.लि. द्वारा बताए गए कारणों में से एक, मूल प्रस्ताव में लिफ्ट, जनरेटर, ट्रांसफोर्म, मोटर पम्प, स्टील का दरवाजा आदि जैसी मदों का समावेश न किया जाना था।

6. अ.रा.आ.सं.लि. द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित अनुमान (नवम्बर 2010) वि.आ.ह के कार्यालय द्वारा मई 2013 तक लो.नि.वि. द्वारा सत्यापन की मांग हेतु अनुमोदित नही किए गए थे।

7. अभिलेखों पर नवम्बर 2011 से अ.रा.आ.सं.लि. के साथ पत्र-व्यवहार नहीं पाया गया था।

परियोजना को संस्वीकृत/अनुमोदित करते समय उ.पू.क्ष.का. के कार्यालय द्वारा अ.रा.आ.सं.लि. द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक प्रस्ताव की उचित संवीक्षा से उपरोक्त मदों के छूटने को रोक सकती थी। वि.आ.ह, नई दिल्ली ने स्वीकार किया कि यह बात अनजाने में अनुमानों को अनुमोदित करते समय विभाग द्वारा नोट नहीं की गई थी। इस प्रकार, उ.पू.क्षे.का. द्वारा प्रस्ताव के प्रसंस्करण में कमी, लापरवाही तथा उसके पश्चात

अपर्याप्त मॉनीटरिंग ₹ 1.67 करोड़ (10[1] प्रतिशत की दर पर परिकलित) के ब्याज की परिणामी हानि के साथ 7 वर्षों (अप्रैल 2013) की अवधि हेतु ₹ 2.38 करोड़ की राशि के अवरूद्ध रहने का कारण बनी। इसके अतिरिक्त, उ.पू.क्षे. कार्यालय एवं क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र (क्षे.डि.त.वि.के.), गुवाहाटी के स्टाफ को आवास प्रदान करने का उद्देश्य अधूरा रहा।

मामले को जनवरी 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जून, 2013 तक प्रतिक्षित था।

[1] निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने में अनुदेयी द्वारा विफलता के मामले में अनुदानों की वसूली हेतु सा.वि.नि. नियम 209 में निर्धारित दर।